मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

मार्गदर्शिका

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन

योजना का शुभारम्भ **29.06.2026**	आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. 2सी, स्वरूप कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर।	आवेदन की अन्तिम तिथि **28.07.2026**

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्गमीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 के अनुसार होगी।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

क्र. स.	विवरण	रेरा पंजीयन कमांक	आरक्षित दर	जोन संख्या
1.	योजना व ग्राम का नाम यदुराज एनक्लेव फेज–2 ग्राम जयचन्दपुरा तहसील कालवाड, जिला जयपुर।	RAJ/P/2025/4191 (www.rera.rajasthan.gov.in)	10,500/- प्रति वर्गमीटर	12
		कमजोर आय वर्ग(EWS)	अल्प आय वर्ग(LIG)	
1.	योजना में इकाई की संख्या	**16**	**15**	
2.	आवंटन दर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत	
3.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक **29.07.2026**		
4.	आवेदनकर्ताओं द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक **30.07.2026**		
5.	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की अवधि	दिनांक **01.08.2026**		
6.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की अवधि	दिनांक **03.08.2026**		
7.	प्राप्त आवेदकों की ऑफलाईन के माध्यम से लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	प्राप्त आवेदकों की लॉटरी ऑफलाईन के माध्यम से दिनांक **13.08.2026** समय सांय **04** बजे स्थान यदुराज एनक्लेव ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला एवं जयचन्द्रपुरा, बड के बालाजी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर।		

- योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम व शर्ते इत्यादि वेबसाइट www.yadurajrealty.com पर देखी जा सकती है।

विकासकर्ता

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

1. **योजना का विवरण** :– मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग इकाई का विकासकर्ता द्वारा आवास योजना ''**यदुराज एनक्लेव फेज–2**'' ग्राम जयचन्दपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर में कुल 16 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं 15 एल0आई0जी0 इकाईयां हेतु आरक्षित भूखण्डो की आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.स.	विवरण	कमजोर आर्य वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
1.	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2025/4191 (www.rera.rajasthan.gov.in)	
2.	योजना में इकाई की संख्या	16	15
3.	आवंटन दर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत
4.	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	दिनांक 29.07.2026	
5.	आवेदनकर्ताओं द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 30.07.2026	
6.	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की अवधि	दिनांक 01.08.2026	
7.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की अवधि	दिनांक 03.08.2026	
8.	पत्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 13.08.2026 समय सांय 04 बजे स्थान यदुराज एनक्लेव ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला एवं जयचन्दपुरा, बड के बालाजी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर।	
9.	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. 2सी स्वरूप कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर।	
10.	वेबसाईट	www.yadurajrealty.com	
11.	सम्पर्क मोबाईल नं.	9929599176, 7877854899	

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रो में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

1. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

1.1 इस योजना के अन्तर्गत आवेदन शुल्क 500/– एवं पंजीकरण राशि 10,000/– कुल 10,500/– (EWS श्रेणी) अथवा आवेदन शुल्क 500/– एवं पंजीकरण राशि 20,000/– कुल 20,500/– (LIG श्रेणी) हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ payable at Aryan Landmark Developers LLP Yaduraj Enclave Phase-II Collection account (जयपुर में देय) के नाम से आर्यन लैण्डमार्क डपलपर्स एलएलपी पंजीकृत कार्यालय 2सी स्वरूप कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर में जमा करानी होगी।

1.2 पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि, कैंसल चैक की प्रति, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति दिनांक 29.06.2026 से प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 4.00 बजे के मध्य (प्रत्येक रविवार एवं राजकीय आवकाश को छोड़कर) 28.07.2026 तक आर्यन लैण्डमार्क डपलपर्स एलएलपी पंजीकृत कार्यालय 2सी स्वरूप कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर में जमा करानी होगी।

1.3 समस्त आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया आवेदन शुल्क 500/–न ही वापस होगा और न ही भूखण्ड की लागत में सम्मिलित किया जावेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा करवाई गई पंजीकरण राशि ड्रॉ के एक माह के पश्चात बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

1.4 भूखण्डों के लिए आवेदन विकासकर्ता की वेबसाईट www.yadurajrealty.com पर उपलब्ध आवेदन पत्र को स्वयं भर कर श्रेणी के अनुसार डीमाण्ड ड्राफ्ट के साथ कम्पनी कार्यालय में जमा करानी होगी।

1.5 योजना की लॉटरी ऑफलाईन माध्यम से यदुराज एनक्लेव ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला एवं जयचन्दपुरा बड के बालाजी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर में की जायेगी।

1.6 आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र में साफ साफ अक्षरों में आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा के नाम एवं बैंक खाते के IFSC code को स्पष्ट व सही अंकित किया जाना चाहिए।

2. **सामान्य शर्ते :–**

2.1 योजना में आवेदक की आय वर्ग के लिए निर्धारित भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

2.2 एक मोबाईल नम्बर से योजना में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। योजना में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन /आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

2.3 आवेदन करने के पश्चात् आवेदन फार्म के साथ आवेदन शुल्क एवं पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए सफल आवेदकों को मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन/डी.डी. (डिमाण्ड ड्राफ्ट) पे–ऑडर/चैक के माध्यम से मांग राशि जमा करानी होगी।

2.4 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य हैं।

2.5 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक क स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर विकासकर्ता/खातेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2.6 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के बैंक खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।

2.7 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में नाम, मोबाईल नम्बर एवं आय ग्रुप में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.8 लॉटरी से पूर्व निर्धारित आवेदन तिथि तक निरस्त एवं संशोधन अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने की स्थित में प्रक्रिया शुल्क की राशि को छोडकर शेष पंजीकरण राशि लॉटरी सम्पादित होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

2.9 असफल आवेदको को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में Online ही वापस कर दिया जायेगा।

2.10 प्रोविजन 1ए– लॉटरी से आंवटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षैत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। क्षैत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आंवटित भूखण्डों की लीजडीड जारी की जावेगी।

2.11 नगरीय विकास एवं आवसन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर विकासकार्ता द्वारा किया जावेगा।

2.12 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

2.13 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

2.14 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि प्राप्त होने मात्र से, विकासकर्ता इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

2.15 राज्य सरकार/प्राधिकरण/विकासकर्ता द्वारा, बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

2.16 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

3. **आवेदन करने की पात्रता :**

3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी (Bonafide resident of the Rajasthan) हो।

3.2 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

3.3 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है जो योजना की अवधि में चालू होना चाहिए।

3.4 आवेदन फार्म में आवेदक को स्वंय का आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर अपडेट कराना होगा।

3.5 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट् (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

3.6 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आंवटित नही हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आंवटन करवाकर भूखण्ड विक्रय कर दिया है तो आवंटन का पात्र नही है।

3.7 **नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.18 (36)यू.डी. एच./एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 एवं नवीनतम अधिसूचना दिनांक 04. 01.2021 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) आवेदक की वार्षिक आय, <u>भूखण्ड की इकाई का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है :–</u>**

क्र.सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1	भूखण्ड का क्षेत्रफल	Upto 45 वर्गमीटर	Above 45 and upto 75 वर्गमीटर
2	योजना में इकाई की संख्या	16 भूखण्ड	15 भूखण्ड
3	(i)परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	3,00,000/–प्रति वर्ष	3,00,001/–से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष
	(ii) इकाई कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्गमीटर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत
	(iii)पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,500/–	20,500/–

3.8 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2025–2026 (01 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोंतों से हुई आय सम्मिलित होगी। आवेदके के परिवार की परिभाषा में स्वयं के साथ निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित है–

1. पुरूष के मामले में पत्नी, तथा महिला के मामले में पति।
2. अविवाहिता पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मासिक 9500/– रूपये से अधिक आय कमाने तक जो भी पहले हो।
3. अविवाहिता पुत्री उसकी शादी होने तक या मासिक 9500/– रूपये से अधिक आय कमाने तक जो भी पहले हो।,
4. माता–पिता जो आवेदक पर पूर्णता आश्रित हो माता–पिता की प्रति माह आय 9500/– रूपये अधिक नहीं हो।

3.9 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते है उन्हे आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण में अंकित करना होगा।

3.10 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नही होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएगें।

3.11 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आंवटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।

3.12 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आश्रित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी			अनु. जन जाति			अनु. जाति			ट्रांसजेंडर व्यक्ति	अधिस्वीकृत पत्रकार			सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी			कुल भुखण्डों की संख्या
10%			6.43%			8.57%			02%	02%			10%			61%			
5% विकलांग	10% निराश्रित एवं भमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एवं भमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	5% विकलांग	10% निराश्रित एवं भमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य		5% विकलांग	10% निराश्रित एवं भमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	5% विकलांग	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य	
EWS 0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	16
LIG 0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	15
																		Total	31

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियॉ की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होगें, बशर्ते कि आवेदक स्वंय की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणीयों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविधालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र होगे।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारिरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र व उस पर आश्रित से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार में केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वंय आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नही होगें।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नही होगें।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र सलंग्न करना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

4. **आवेदन की सामान्य शर्ते :–**

4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वंय के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व **स्वंय के नाम से** चालू स्थिति में हो।

4.2 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटन पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होगें।

4.3 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार/व्यक्ति/फर्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी।

5. **भूखण्ड के आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण**

5.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाचं विकासकर्ता के स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

5.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

5.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

5.5 आवेदन पत्र में नियम विरूद्व एवं गलत तथ्य देने पर।

5.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

5.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

5.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा आफॅ लाईन आवेदन फार्म में स्वंय का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण विवरण दिया जाना आवश्यक है।

5.9 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आंवटित भूखण्ड निरस्त कर आंवटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।

5.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं आवंटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।

6. **लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रकिया :**

6.1 विकासकर्ता द्वारा ऑफलाईन के माध्यम से निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आंवटित प्रकिया (Allotment Process) में भाग लेगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेगें।

6.2 योजना में भूखण्ड की लॉटरी निकालते समय कुल भूखण्डों की संख्या का 10 प्रतिशत वरियता के अनुसार प्रतिक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित भूखण्ड की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरियता के आधार पर आंवटित किये जा सकेगें।

6.3 **लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर–अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना**

आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/पैन कार्ड अंकतालिका आदि में से कोई भी) एवं पहचान पत्र साक्ष्य जैसे फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रति
- आधार कॉर्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा एवं पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड की प्रमाणित प्रति। (समस्त आवेदकों के लिए)
- निवास का प्रमाण जैसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड
- सकल मासिक आय अपने नियोक्ता/तहसीलदार/ नगर पालिका अधिकारी एवं राजकीय अधिकारी से प्राप्त/सत्यापित प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2025–26 (अथवा जो वित्तीय वर्ष लागू हो) को प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), ITR एवं पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट (स्वंय, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित श्रेणी के सफल आंवटी को संबंधित प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति/विभाग द्वारा जारी ID कार्ड यथा–Govt. Employee/SC/ST/ Handicap/Accredited Journalist/Soldier

6.4 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में भूखण्ड की कीमत विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।

6.5 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में निर्धारित माध्यम से NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑडर/चैक द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।

6.6 आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) भूखण्डों का मौके पर डिमारकेशन विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कैंसल चैक में अंकित बचत खाता संख्या अंकित बैंक एवं IFSC Code में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी

7.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक विकासकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा आवेदक द्वारा गलत IFSC Code बैंक खाता सख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने पर विलम्ब होने पर विकासकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :

8.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आंवटित किए जावेगें तथा भूखण्ड की लीज डीड/फ्री होल्ड पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।

8.2 आवंटित भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आंवटित भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।

8.3 सफल आवंटित द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड की लीज डीड/फ्री होल्ड पट्टा हेतु स्वयं उपस्थित होकर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

8.4 जोन उपायुक्त द्वारा आंवटियों को लिखित में लीज डीड/फ्री होल्ड पट्टा निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते

हुए पत्र भेजा जायेगा। सफल आवंटित द्वारा निर्धारित मांग राशि स्वयं जमा करवाने के उपरान्त लीज डीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी की जायेगी।

8.5 आवंटी को लीज डीड/फ्री होल्ड पट्टा पंजीयन का खर्च स्वंय वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा।

8.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आंवटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

8.7 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आंवटित भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नही किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आंवटन रद्द कर भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।

8.8 आवंटन में भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नही करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने का समस्त अधिकार होगें।

8.9 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

8.10 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

8.11 आवेदक पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण/विकासकर्ता इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

8.12 आवंटन के सम्बन्ध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, आदेश/निदेश लागू होंगे।

8.13 किसी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

****

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं.. पुत्र / पत्नी / पुत्री...

....आयु...........................निवासी................

....

...............शपथ पूर्व घोषणा करता / करती हूँ, कि

1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा / शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नही है तथा मैं राजस्थान का / की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा / रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा / दूंगी।

3) यह कि मैंने **सामान्य / आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी / सैनिक / अनु.जाति / अनु. जनजाति / विकलांग / अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता / रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगें, मैं प्रस्तुत कर दूँगा / दूँगी।

4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड / प्लॉट मेरे स्वयं पति / पत्नी तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड / मकान आवंटित नही हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं.. पुत्र / पत्नी / पुत्री...
शपथ पूर्व घोषणा करता / करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..जाति...निवासी....... ....तहसील..........................जिला............................ .राज्य.................. की स्वंय पत्नी/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रू0.......................... प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन नम्बर .... है।

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....................................शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता (IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग में.............. ....पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रू0. ....प्रति माह हैं।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

आय प्रमाण–पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस कम्पनी/फर्म में. ....पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रू0................ ....प्रतिवर्ष हैं।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री......................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...... ....निवासी..जिला........................सम्भाग..................................राज्य....................... ....जाति................................के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

सैनिक / सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नही होगा।)

प्रमाणित किया जाता हैं कि...

(रैंक)...(नाम)...

(नम्बर)...........................

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल / जल / वायु सेना / सीमा सुरक्षा बल / केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल / सी.आई.एस.एफ में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये...........................प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं / सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये.....................प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती / सुश्री..............................है।इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू...............प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया हैं।

कमान्डिंग ऑफिसर /
सक्षम अधिकारी / सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

<u>शपथ पत्र</u>

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु.................................. निवासी... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट् हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नही किया है।

(2) यह कि मेरे/पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नही किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती .... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स में से कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट् आंवटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री......................................शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>शपथ पत्र</u>

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर, सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु.................................. निवासी.. शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूॅं कि

(1) यह कि में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स के आंवटन की पात्रता रखता हूॅं।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नि/ पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटित नही किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री.......................................शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूॅं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/सुश्री...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी..की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.... ....निवासी..तहसील............................जिला....................अधिस्वीकृत पत्रकार हैं।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारीके हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

योजना का शुभारम्भ : 29.06.2026	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय पताः– आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी पता 2सी स्वरूप कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड़ जयपुर	आवेदन की अन्तिम तिथि : 28.07.2026

योजना का नाम :– **यदुराज एनक्लेव फेज–2 (जोन–12)**

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आयवर्ग (LIG) भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

1.	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2025/4191
2.	योजना में भूखण्ड की संख्या	EWS-16, LIG-15
3.	योजना में भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं अमानत राशि	45 वर्गमीटर तक 10,500 / –एवं 45 वर्गमीटर से 75 वर्गमीटर तक 20,500 / –
4.	आवंटन दर	10,500 / – प्र.व.मी. (EWS आरक्षित दर का 50 प्रतिशत व LIG आरक्षित दर का 80 प्रतिशत)
5.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 29.07.2026
6.	आवेदनकर्ताओं द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 30.07.2026
7.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	दिनांक. 01.08.2026
8.	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	दिनांक 03.08.2026
9.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	प्राप्त आवेदकों की लॉटरी ऑफलाईन के माध्यम से दिनांक 13.08.2026 समय सांय 04 बजे स्थान यदुराज एनक्लेव ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला एवं जयचन्दपुरा, बड़ के बालाजी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम व शर्तें इत्यादि वेबसाइट www.yadurajrealty.com पर देखी जा सकती है एवं आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर, डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के साथ पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी कार्यालय 2सी स्वरूप कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर में जमा कराना होगा ।